



हरियाणाविद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)



विषय:—सैकेण्डरी/सी0सै0 परीक्षा सितम्बर-2026 के लिए ऑन-लाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा सितम्बर-2026 हेतु जिस परीक्षार्थी का ऑन-लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे परीक्षार्थी की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना-पत्र ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस (Excess Fee) जमा होने के साक्ष्यों (Beneficiary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित दो मास (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सैकेण्डरी की assec@bseh.org.in व सी0सै0 की assrs@bseh.org.in ईमेल आईडी0 पर या दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके उपरान्त डबल फीस (Excess Fee) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (Excess Fee) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट निम्न प्रकार से है:—

Student Name Father Name

Student Roll No..... Beneficiary (Account Holder) Name.....

Beneficiary A/C No..... Email ID.....

Mob No..... Refundable Amount.....

Bank Name & Place IFSC Code.....

नोट:—उपरोक्त के अतिरिक्त पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति भी साथ संलग्न करें, जिस पर खाता नं0 स्पष्ट लिखा/प्रिंट किया गया हो।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फॉर्मेट अनुसार दिए गए विवरण सही है यदि कोई विवरण गलत होगा तो इसका मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

तिथि.....

परीक्षार्थी का नाम.....

पता.....

.....



Hansi Road, Bhiwani-127021
www.bseh.org.in

